

दिल्ली विधान सभा सचिवलय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

मंगलवार 24 मार्च, 2009 / चैत्र 03 1931 (शक)

संख्या: 22

सदस्यों की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, दक्षिण-पश्चिम जिला, नई, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्वश्री रमेश बिधुड़ी एवं अनिल झा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत सुबमनियम मार्ग, मथुरा रोड पर दिनांक 20-03-2009 को अपराह्न 4: 13 बजे नजरबंद किया गया ।

उन्हे उसी दिन अर्थात् दिनांक 20-03-2009 को अपराह्न 4: 37 बजे, वहीं से रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव
सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)
Tuesday, 24 March, 2009 / Chaitra 03, 1931 (Saka)

No.22

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, South East District, New Delhi.

"I have the honour to inform you that Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, S/Shri Ramesh Bidhuri and Anil Jha were detained u/s 65 of Delhi Police Act from Subramaniam Marg, Mathura Road at 4.13 P.M on 20.3.2009

They were released at 4.37 P.M from the same place on the same date. "

SIDDHARATH RAO

Secretary